केन्द्रीय प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में मंत्रिमंडल सचिव : एक अध्ययन

विजय कुमार

मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रधान मंत्रिमंडल सचिव होता है जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है । सचिवालय की अध्यक्षता की जवाबदेही भी सचिव पर ही होती है । क्योंकि वह सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल सचिव केन्द्रीय संस्थापक मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। मंत्रिमंडल सचिव होने के नाते वह कानून व मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है साथ ही मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में भी भाग लेता है। मधुलिमये ने कहा है ''इन बैठकों में कोई औपचारिक मतदान नहीं होता, आज कल इन बैठकों के निर्णयों को ही अभिलेखित किया जाता है लेकिन बैठकों की कार्यवाही को प्रधानमंत्री की अनुमति अवश्य मिलनी चाहिए। यह पद आज अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है और निःसंदेह लोकसेवक की यह अंतिम नियुक्ति नहीं है। इस पद पर आसीन अधिकारियों को राज्यपाल भी बनाया जाता है''।